अध्याय-II
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय - II
अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायती राज विभाग

2.1 कपटपूर्ण भुगतान

ग्राम पंचायत, बुधुआ, वित्त आयोग के अनुदानों से वित्तपोषित किए जाने वाले कार्यों की निगरानी करने में विफल रहा और ₹ 12.50 लाख का भुगतान अभिकर्त्ता को उन कार्यों के लिए किया जो कार्यान्वित नहीं किए गये थे।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की धारा 244 में प्रावधानित है कि मापी पुस्त (एम.बी.) को सबसे महत्त्वपूर्ण अभिलेख माना जाएगा, क्योंकि यह सभी परिमाण खातों का आधार है, चाहे वह दैनिक श्रम द्वारा किया गया कार्य हो या नगवार द्वारा या अनुबंध द्वारा या प्राप्त सामग्री जिसे गिना या मापा जाना है। सक्षम प्राधिकारी {अनुमंडल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) से नीचे के रैंक का नहीं}, को यह सुनिश्चत करना है कि किया गया भुगतान वास्तव में निष्पादित कार्य की मात्रा से अधिक न हो। आगे, बिहार पंयाचत राज अधिनियम की धाारा 17(1) में यह प्रावधानित है कि ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन के लिए उत्तरदायी है और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ–साथ उन कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण करेगा जिनकी सेवाएं किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन सौंपी गयी हों। आगे, बिहार पंचायत (अधिकारियों का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जांच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली (बि.पं.नि.) 2014 के अनुसार प्रखंड और जिला स्तर के पदाधिकारी[15] निर्धारित अंतराल[16] पर ग्राम पंचायत कार्यालयों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

पंचायत समिति, अकबरपुर (नवादा) अंतर्गत ग्राम पंचायत बुधुआ के अभिलेखों की वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2021–22 (मार्च 2023 तक अद्यतन) की अवधि के लिए हुए लेखापरीक्षा (जुलाई 2022) से पता चला कि ग्राम पंचायत ने पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदान से नाला निर्माण[17] और चौदहवीं वित्त आयोग अनुदान से पी.सी.सी. सड़क निर्माण[18] (फरवरी 2020 से जुलाई 2020) के कार्य कराए थे जिसकी कुल अनुमानित लागत ₹15.93 लाख[19] थी। ग्राम पंचायत ने उपरोक्त दोनों कार्यों को कराने के लिए ग्राम पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव को इस निर्देश के साथ कार्यकारी अभिकर्त्ता

---

[15] *प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रमंडलीय उप निदेशक (पंचायत), उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त।*

[16] *प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम एक ग्राम पंचायत प्रति माह, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम दो ग्राम पंचायत प्रति माह, अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम दो ग्राम पंचायत प्रति तीन माह में, प्रमंडलीय उप निदेशक (पंचायत) एवं उप विकास आयुक्त द्वारा न्यूनतम दो ग्राम पंचायत प्रति छः माह में, जिला पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम दो ग्राम पंचायत प्रति वर्ष एवं प्रमंडलीय आयुक्त अपनी सुविधानुसार।*

[17] *योजना संख्या 01/19–20 (पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदान) तेलभद्रो में राजेश ठाकुर के घर से रविन्द्र ठाकुर के घर तक नाला एवं ढक्कन निर्माण।*

[18] *योजना संख्या 02/19–20 (चौदहवी वित्त आयोग अनुदान) तेलभद्रो में पिन्टु यादव के घर से सुनील यादव के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण।*

[19] *योजना संख्या 01/19–20 की प्राकलित राशि ₹ 5.95 लाख और .योजना संख्या 02/19–20 की प्राकलित राशि ₹ 9.98 लाख थी, इस प्रकार दो कार्यों की प्राकलित राशि ₹ 5.95 लाख + ₹ 9.98 लाख = ₹ 15.93 लाख थी।*

नामित किया (अप्रैल और मई 2019) कि पूर्वोक्त कार्य, कार्यादेश निर्गत होने की तिथि[20] से एक वर्ष के भीतर (क्रमशः मई और अप्रैल 2019) पूर्ण किए जाएं।

कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त मे दर्ज कार्य मूल्य ₹13.05 लाख[21] के विरुद्ध अभिकर्त्ता को, मई से जुलाई 2020 के दौरान, ₹12.50 लाख[22] का भुगतान किया गया था। हालांकि, तकनीकी सहायक और ग्राम पंचायत के वर्त्तमान पंचायत सचिव के साथ लेखापरीक्षा (जुलाई 2022) द्वारा किए गये संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि अभिकर्त्ता द्वारा कार्यों को नहीं किया गया था।

कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त में दर्ज और कार्यपालक अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मापी के आधार पर मुखिया (ग्राम पंचायत निधि से राशि निकालने के लिए पंचायत सचिव संयुक्त हस्ताक्षरकर्त्ता थे) द्वारा कार्यकारी अभिकर्त्ता को राशि का भुगतान किया गया था। ग्राम पंचायत के मुखिया ने कार्यों के वास्तविक क्रियान्वयन का अनुश्रवण नहीं किया और स्थल पर कार्य सत्यापन किए बिना ही तत्कालीन पंचायत सचिव को ₹12.50 लाख का भुगतान कर दिया। इसके अतिरिक्त, बि.पं.नि. 2014 के प्रावधानों के विपरीत प्रखंड और जिला स्तर के प्राधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण का कोई साक्ष्य नही था। लेखापरीक्षा (मार्च 2023) में यह इंगित किए जाने पर वर्त्तमान पंचायत सचिव ने उत्तर दिया कि तत्कालीन पंचायत सचिव, जो सेवानिवृत हो चुके थे, से स्पष्टीकरण माँगा जाएगा।

कार्यों के वास्तविक क्रियान्वयन के बिना भुगतान संभव हो पाया था, क्योंकि प्राधिकारियों, अर्थात कार्य के निष्पादन के अनुश्रवण एवं निरीक्षण के लिए जिम्मेदार मुखिया एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों ने कार्य का अनुश्रवण नहीं किया, कनीय अभियंता ने मापी पुस्त में कार्यों की गलत प्रविष्टियाँ की और कार्यपालक अभियंता ने मापी पुस्त को प्रतिहस्ताक्षरित किया, जिसके फलस्वरुप ग्राम पंचायत निधि से ₹12.50 लाख का फर्जी भुगतान हुआ।

मामला मार्च 2023 में राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2023 तक)।

---

[20] *योजना संख्या 01/19–20 के लिए कार्यादेश निर्गत की तिथि 01/05/2019 थी, जबकि योजना संख्या 02/19–20 के लिए कार्यादेश की तिथि 01/04/2019 थी।*

[21] *योजना सख्या 01/2019–20 में किए गए कार्य का मूल्य (मापी पुस्त के अनुसार) ₹ 5.95 लाख था और योजना संख्या 02/2019–20 मे किए गए कार्य का मूल्य ₹ 7.10 लाख था, इस प्रकार मापी पुस्त में दर्ज मापी के अनुसार किए गए कार्य का मुल्य ₹ 5.95 लाख+ ₹ 7.10 लाख = ₹ 13.05 लाख था।*

[22] *योजना सख्या 01/2019–20 के लिए ₹ 5.50 लाख का भुगतान किया गया था और योजना संख्या 02/2019–20 के लिए ₹ 7.00 लाख का भुगतान किया गया था, इस प्रकार कुल भुगतान ₹ 5.50 लाख+ ₹ 7.00 लाख= ₹ 12.50 लाख था।*